न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अंजु शर्मा आर.एस.

प्रकरण संख्याः 43 / 2018

उनवान

1. कालु पिता बादु जाति भील निवासी बखतपुरा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

1. धनजी पिता कोदर जाति भील निवासी बखतपुरा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2. गंगा पत्नी धनजी जाति भील निवासी बखतपुरा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
3. लसु पिता शंकर जाति भील निवासी बखतपुरा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 13.12.2022

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 198 (नयी), 188 (पुरानी) के खसरा नम्बर 2037 रकबा 010 एयर, खसरा नम्बर 2038 रकबा 0.07 एयर, खसरा नम्बर 2039 रकबा 0.04 एयर, खसरा नम्ब्र 2040 रकबा 0.04 एयर, खसरा नम्बर 2170 रकबा 0.34 एयर कुल खसरा नंग 05 कुल रकबा 0.59 एयर वाके बखतपुरा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा राजस्थान में स्थित हैं। जिसका वादी खातेदार होकर उपयोग व उपभोग कर रहा हैं। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक, अधिकार व स्वामित्व नहीं है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण माह जुलाई से जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर हडप कर लेना चाहते है जिस हेतु प्रतिवादीगण लगातार आये दिन वादी की कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कहते है कि, इसमे हम मकान का निर्माण करेगे। जिस हेतु नीव की खुदाई कर दी है वादी द्वारा रोकने पर कहते है कि अगर हमे रोकने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पडेगा एवं कहते है कि, जमीन छोडकर भाग जाना नहीं तो जान से मार देगे व रूपयो की मांग करते हैं जिस पर वादी द्वारा मना करने पर गाली गलोच मारपीट को उतारू होते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादी के शांतिपूर्ण कब्जे कार्य से वंचित करने की चेष्टा कर वादी को भूमि से बेदखल कर अतिक्रमण करने को उतारू है। इस प्रकार वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा व रूकावट पैदा कर क्षति पहुंचा रहे है जिसका मूल्यांकन रूपयों में संभव नहीं है। इस कारण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को रोकना आवश्यक है। उक्त भूमि में मौके पर वादी काबीज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है जिस कारण प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दु वादी के पक्ष में है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी भूमि पर जबरन दिनांक 01.7.2018 को उक्त कृषि भूमि में मकान की नीव खोदने एवं वादी को डराने धमकाने व मारपीट को उतारू होने व जोर जबर दस्ती बेदखल करने की धमकी देने से व वादी के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करने से वाद कारण अदालत हाजा में उत्पन्न हुआ। वादी के खातेदा[illegible] काश्त् व अधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 198 (नयी), 188 (पुरानी) के खसरा [illegible] 20[illegible] रकबा 010 एयर, खसरा नम्बर 2038 रकबा 0.07 एयर, खसरा नम्बर [illegible] 2040 रकबा 0.04 एयर, खसरा नम्बर 2170 रकबा 0.34 एयर कुल खसरा [illegible] 05 [illegible] रकबा 0.59 एयर वाके [illegible] पटवार हल्का मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा राज[illegible] स्थित में प्रतिवादीगण [illegible] शांतिपूर्ण उपयोग, उपभोग व कृषि में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न न करें न वादी को बेदखल करने का प्रयास करें, न उक्त कृषि भूमि पर निमार्ण कार्य करे न ही अपने प्रतिनिधि से ऐसा कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.03 12:40:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

कृत्य करावें जिससे वादी को नुकसान पहुंचे। इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादर फरमाने, वाद व्यय व अभिभाषक शुल्क दिलाने एवं अनुतोष जो न्यायसंगत हो धारा 209 आर.टी.एक्ट में न्यायोचित हो वादी को दिलाने वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की तरफ से श्री जीतमल कटारा, अभिभाषक का वकालातनाम पैश जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात कायम की गई:—

(1) आया वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 198 (नई) 188 (पुरानी) के कुल सर्वे नम्बर 05 रकबा 0.59 हे0 भूमि वाके ग्राम वखतपुरा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढी में स्थित है। इसकास उपयोग व उपभोग वादी करता चला आ रहा हैं।

—: वादी

(2) आया वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने एवं निर्माण करवाने व वादी की भूमि हड़पने के कार्य किया जा रहा है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है।

—: वादी

(3) आया वादग्रस्त भूमि पर कभी भी वादी का कब्जा नही रहा है । तथा प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है एवं न ही किसी प्रकार का विवाद किया जा रहा है उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा है। इसलिये वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का पात्र नहीं है।

—: प्रतिवादीगण

(4) अनुतोषः—

वादी की साक्ष्य के रूप में श्री कालु पिता बादु जाति भील के शपथ—पत्र पेश होकर श्री कालु के द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रदर्श—1, प्रदर्शित करवाया जाकर प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा श्री कालु से जिरह की जाने पर वादग्रस्त भूमि का खाता संख्या याद नहीं है, प्रतिवादी धनजी मेरे खाते में नहीं आया लेकिन वह झगड़ा करता है।, धनजी ने मेरे उपर थाने में केस किया था हमारा इसके अलावा कोई झगडा नहीं होने के कथन किये गये। तत्पश्चात् वादी की साक्ष्य बन्द की गई। प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु समुचित समय दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर बकुलाय की बहस सुनी गई। प्रकरण में कायम की गई तनकियात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है:—

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादी का था, वादी की ओर से प्रस्तुत वाद के संलग्न जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या 198 (नई) 188 (पुरानी) में दर्ज खातेदारान् के नाम से साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के खातेदारी की है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादी का था, वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, गवाहान के बयान से यह सिद्ध होता हैं कि वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बाधा पहुँचाई गई है। प्रतिवादीगण साबित करने में असफल रहे हैं कि उनका कब्जा कानूनी रूप से पोषनीय है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था, प्रतिवादीगण को समुचित समय दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने तथा वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का पात्र नहीं है अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.03 12:40:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई बहस पर मनन् एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, **संलग्न जमाबन्दी संवत** 2072 से 2075, का संक्षिप्त अवलोकन करने तथा मानीय राजस्व मण्डल **अजमेर** का **न्यायिक** दृष्टान्त 1994 आर.आर.डी. 529 ''झबार बनाम श्रीमती दूर्गा'' में खातेदार की

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि पर खातेदारान् का दौराने वाद कब्जा नही होने पर भी तथा प्रतिवादीगण द्वारा खातेदार की भूमि पर अपने कब्जे को कानूनी रूप से वैद्य सिद्ध नही कर पाने की स्थिति में भी वादी के पक्ष में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद निर्णित करतें हुऐ मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः पटवार हल्का मादलदा के मौजा बखतपुरा की खाता संख्या 198 (नयी), 188 (पुरानी) के खसरा नम्बर 2037 रकबा 010 हे0, खसरा नम्बर 2038 रकबा 0.07 हे0, खसरा नम्बर 2039 रकबा 0.04 हें0, खसरा नम्ब्र 2040 रकबा 0.04 हें0, खसरा नम्बर 2170 रकबा 0.34 हें0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.59 हें0 वादी की खातेदारी भूमि में शांन्तिपूर्ण उपयोग/उपभोग कृषि में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करने तथा न ही अपने चिर–परिचित से ऐसा कोई कृत्य कराने जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि की काश्त में रूकावट/व्यवधान पेदा हो इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

पटवार हल्का मादलदा के मौजा बखतपुरा की खाता संख्या 198 (नयी), 188 (पुरानी) के खसरा नम्बर 2037 रकबा 010 हे0, खसरा नम्बर 2038 रकबा 0.07 हे0, खसरा नम्बर 2039 रकबा 0.04 हें0, खसरा नम्ब्र 2040 रकबा 0.04 हें0, खसरा नम्बर 2170 रकबा 0.34 हें0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.59 हें0 वादी की खातेदारी भूमि में शांन्तिपूर्ण उपयोग/उपभोग कृषि में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करने तथा न ही अपने चिर–परिचित से ऐसा कोई कृत्य कराने जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि की काश्त में रूकावट/व्यवधान पेदा हो इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.03 12:40:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अंजु शर्मा
प्रकरण संख्या: 43/2018

उनवान

1. कालु पिता बादु जाति भील निवासी बखतपुरा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

1. धनजी पिता कोदर जाति भील निवासी बखतपुरा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2. गंगा पत्नी धनजी जाति भील निवासी बखतपुरा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
3. लसु पिता शंकर जाति भील निवासी बखतपुरा पटवार हल्का मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 13.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का मादलदा के मौजा बखतपुरा की खाता संख्या 198 (नयी), 188 (पुरानी) के खसरा नम्बर 2037 रकबा 010 हे0, खसरा नम्बर 2038 रकबा 0.07 हे0, खसरा नम्बर 2039 रकबा 0.04 हें0, खसरा नम्ब्र 2040 रकबा 0.04 हें0, खसरा नम्बर 2170 रकबा 0.34 हें0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.59 हें0 भूमि में प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 13.12.2022 को जारी की गई।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.03 12:40:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner